

**बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड**  
**महेश भवन, पूर्वी गांधी मैदान पटना -4**

**कार्यालय आदेश**

**संचिका संख्या- खा0/पुर्न0/233/2016-17.**

बिहार सरकार, उद्योग विभाग की संकल्प संख्या-4671 दिनांक-19.12.2014 द्वारा बिहार में स्थित खादी संस्था/समितियों को खादी पुर्नरुद्धार योजना के तहत चरखा, करघा एवं कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाना है। उक्त संकल्प के कंडिका 03 के अनुसार संस्था/समितियों को कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में दिया जायेगा, जिसपर 4% (चार प्रतिशत) के दर से संस्था/समिति द्वारा ब्याज (सूद) देय होगा।

02. बिहार सरकार, उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या-566 पटना दिनांक-17.02.2017 के आलोक में खादी पुर्नरुद्धार योजना के तहत बिहार स्थित खादी के जिन 17 संस्था/समितियों के बीच 01 तकुआ का कटिया चरखा (शिल्क स्पीनिंग चरखा) 600 नग क्रय किये जाने हेतु राशि उपलब्ध कराया गया है, उन्हें कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाना है।

03. कार्यशील पूँजी के रूप में प्रति कटिया चरखा रू0 66,000/- (छयासठ हजार रुपये) मात्र के दर से संस्था/समितियों को भुगतान किया जाना है, जिस पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

04. संस्था/समितियों को प्रति कटिया चरखा पर कार्यशील पूँजी के रूप में रू0 66,000/- (छयासठ हजार रुपये) मात्र के दर से निम्नलिखित 14 संस्था/समितियों को 535 कटिया चरखा के लिये रू0-3,53,10,000/- (तीन करोड़ तिरपन लाख दस हजार रुपये) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

| क्र0 | संस्था/समिति का नाम एवं पता                                                                                                                         | आवंटित कटिया चरखा की संख्या | प्रति चरखा कार्यशील पूँजी (रूपये में) | कार्यशील पूँजी हेतु भुगतान किये जाने वाली राशि (रूपये) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | रेशम खादी विकास सहयोग समिति लि0, खरमनचक, भागलपुर                                                                                                    | 40                          | 66,000.00                             | 26,40,000.00                                           |
| 2    | हबिबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी एण्ड ग्रामोद्योग संघ, ग्राम- बैराघाट, पो0- सुगौना, भाया- राजनगर, जिला- मधुबनी, उत्पादन केन्द्र- बड़ी खंजरपुर, भागलपुर | 35                          | 66,000.00                             | 23,10,000.00                                           |
| 3    | कुलसुम मेमोरियल महिला विकास संस्थान, अंसारी टोला, भगवानपुर, पो0- सुगौना, भाया- राजनगर, जिला- मधुबनी, उत्पादन केन्द्र- बड़ी खंजरपुर, भागलपुर         | 25                          | 66,000.00                             | 16,50,000.00                                           |
| 4    | सादिक ग्राम विकास संस्थान, ग्राम+पो0+ थाना-पंडौल, जिला- मधुबनी, उत्पादन केन्द्र- बड़ी खंजरपुर, भागलपुर                                              | 25                          | 66,000.00                             | 16,50,000.00                                           |



09. सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरुद्धार योजना सह अंकेक्षण) को निदेश है कि कटिया चरखा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में स्वीकृत कार्यशील पूंजी की राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- खादी/166

पटना, दिनांक- 29/11/2017

प्रतिलिपि :- उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री/उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र0)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरुद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरुद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- खादी/166

पटना, दिनांक- 29/11/2017

प्रतिलिपि :- राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- खादी/166

पटना, दिनांक- 29/11/2017

प्रतिलिपि :- संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- खादी/166

पटना, दिनांक- 29/11/2017

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- खादी/166

पटना, दिनांक- 29/11/2017

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

29/11/17



|    |                                                                                                                               |     |           |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|
| 5  | राजिक खादी ग्रामोद्योग संघ, ग्राम-शिवा, पो0-गनौली, भाया-अंधराढ़ाढ़ी, जिला-मधुबनी, उत्पादन केन्द्र-बड़ी खंजरपुर, भागलपुर       | 30  | 66,000.00 | 19,80,000.00   |
| 6  | आशिक शिक्षित बेरोजगार विकास संघ, हबिब मंजिल, वार्ड नं0-9, मोमिन टोला, पो0+जिला- मधुबनी, उत्पादन केन्द्र-बड़ी खंजरपुर, भागलपुर | 25  | 66,000.00 | 16,50,000.00   |
| 7  | आदर्श महिला विकास सहयोग समिति, भागलपुर                                                                                        | 20  | 66,000.00 | 13,20,000.00   |
| 8  | रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ, दरियापुर, नाथनगर, भागलपुर                                                                    | 70  | 66,000.00 | 46,20,000.00   |
| 9  | ग्राम स्वराज्य संघ, बरियारपुर, मुंगेर                                                                                         | 25  | 66,000.00 | 16,50,000.00   |
| 10 | उग्र नारायण खादी ग्रामोद्योग आश्रम, मनीगाछी, दरभंगा                                                                           | 20  | 66,000.00 | 13,20,000.00   |
| 11 | मकरंदा भण्डारिसौं ग्रामोदय सहयोग समिति लि0, मनीगाछी, दरभंगा                                                                   | 25  | 66,000.00 | 16,50,000.00   |
| 12 | नाथनगर ग्रामोद्योग सहयोग समिति लि0, नाथनगर, भागलपुर                                                                           | 75  | 66,000.00 | 49,50,000.00   |
| 13 | रेशम खादी उद्योग संघ, उर्दू बाजार रोड, रेकाबगंज, भागलपुर                                                                      | 70  | 66,000.00 | 46,20,000.00   |
| 14 | रेशम खादी सेवा उद्योग, जोगसर, भागलपुर                                                                                         | 50  | 66,000.00 | 33,00,000.00   |
|    |                                                                                                                               | 535 |           | 3,53,10,000.00 |

रु0-3,53,10,000.00 (तीन करोड़ तिरपन लाख दस हजार रुपये) मात्र।

05. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरुद्धार योजना में उपलब्ध राशि से किया जायेगा।

06. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं संस्था/समितियों के अध्यक्ष/मंत्री के साथ एकरारनामा होने के उपरान्त ही कार्यशील पूँजी का भुगतान किया जायेगा।

07. एकरारनामा का प्रारूप (Format) इसके साथ संलग्न है एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के वेबसाईट [www.kvibbihar.com](http://www.kvibbihar.com) पर भी उपलब्ध है।

08. एकरारनामा में निहित सभी शर्तों का अनुपालन खादी संस्थाओं/समितियों को अनिवार्य रूप से किया जायेगा। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी संस्थाओं के मध्य एकरारनामा पर हस्ताक्षर होने के बाद ही स्वीकृत कार्यशील पूँजी (ऋण) का भुगतान किया जायेगा।